<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश, कोटा (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी	:	सत्यनारायण व्यास
आपराधिक विविध प्रकरण संख्या	:	1352/2026
एफ.आई.आर.संख्या	:	11/2026
अंतर्गत धारा	:	धारा 3RP(UP) Act एवं धारा 174, 147 रेल्वे एक्ट
पुलिस थाना	:	आरपीएफ, कोटा

ताहिर पुत्र इसराइल उर्फ इब्राहिम, निवासी बॉम्बे योजना, जेके फेक्ट्री के सामने, लुहार बस्ती, पुलिस थाना उद्योग नगर, कोटा जिला कोटा

.....प्रार्थी अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान सरकार, जरिये लोक अभियोजक, कोटा

....विपक्षी

जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थितः-

1. विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष तिवारी प्रार्थी अभियुक्त की ओर से,
2. विद्वान लोक अभियोजक श्री मनोज पुरी, राज्य सरकार की ओर से।

आदेश दिनांकः 11.06.2026

प्रार्थी अभियुक्त ताहिर की ओर से जमानत का यह प्रार्थना-पत्र उसके अधिवक्ता ने पेश किया। नकल लोक अभियोजक को दिलाई गई। अनुसंधान पत्रावली आहूत कर अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने बहस के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए पक्षकथन किया है कि अभियोजन कहानी मुताबिक प्रार्थी के विरूद्ध कोटा-न्यू कोटा रेलवे स्टेशन के मध्य कि.मी. 914/33 अपर लाईन की बांयी तरफ पुलिया नं. 206 के पास स्थित जक्शन बॉक्स के एक छोर से 12 कोर की 03 केबल प्रत्येक की लम्बाई लगभग 04 मीटर कुल 12 मीटर केबल अनुमानित कीमत 1200/- रूपये की रेल सम्पत्ति, चोरी कर ले जाने/अनाधिकृत रूप से अपने कब्जे में रखने, के अपराध का अरोप लगाया गया, और प्रार्थी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। अभियोजन कहानी मे यह कही भी नहीं कहा कि जो रेल सम्पत्ति 03 केबल कुल 12 मीटर

Authenticated Document

लंबाई किस अभियुक्त से कहां से उसके अवैध कब्जे से जब्त की गई है, अभियुक्तगण ताहिर व अलीमुद्दीन दोनो अलग अलग स्थान के निवासी है यदि दोनो के पास से केबल रेलवे सुरक्षा बल को मिली है तो क्या दोनो अभियुक्त एक ही स्थान पर थे या अलग अलग स्थान पर थे, और थे तो कौनसे स्थान पर थे ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी एक मजदूर व्यक्ति हैं, मजदूरी की तलाश के लिये इधर-उधर आना जाना रहता है, ऐसे में एक अनजान व्यक्ति ने प्रार्थी को रोका और पूछा क्या मजदूरी पर चलोगे, प्रार्थी ने 500/- रूपया मजदूरी बताई, अनजान व्यक्ति मजदूरी देने को तैयार हो गया, अनजान व्यक्ति ने प्रार्थी को कहा कि पुलिया नं. 6 के पास चलकर रूक जाना वो अभी वाहन लेकर आता है, वाहन में कुछ सामान लदान करना हैं, प्रार्थी अनजान व्यक्ति के बताये अनुसार पुलिया नं. 206 की और जा रहा था और छाव देखकर वहीं पर आराम के लिये रूक गया, उसे इस बात का कतई ज्ञान नहीं था कि यहां क्या पड़ा हुआ है, और उसे क्या करना है, प्रार्थी के अचानक रूकते ही सुरक्षा बल ने शक के आधार पर पकडा और रेलवे सुरक्षा बल कार्यालय ले गये, और उस पर उपरोक्त मुकदमा बना दिया गया, जबकि प्रार्थी का आरोपित अपराध वाले प्रकरण से कोई लेना-देना नहीं हैं, प्रार्थी के पास कोई बताई रेल सम्पत्ति नहीं थी। प्रार्थी अभियुक्त कोटा का स्थायी निवासी है, जिसके फरार होने एवं गवाहान को टेम्परविद किए जाने का कोई अंदेशा नहीं है। उन्होंने उक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए व्यक्त किया है कि प्रार्थी अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

4. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक-30.05.2026 को म.सु.नि.कक्ष कोटा एवं डिप्टी एसएस न्यू कोटा से सूचना प्राप्त हुई कि कोटा-न्यू कोटा स्टेशन के मध्य किमी नम्बर 915/05 पर स्थित यूडीआई सिगनल ब्लैक हो गया है, उक्त सूचना पर सउनि रामलाल बंशकार मय स्टाफ घटना स्थल किमी नम्बर 915/05 पर पहुँचे जहाँ वरिष्ठ खण्ड अभियन्ता सिग्नल रामगंजमण्डी श्री भागीरथ प्रसाद पवार उपस्थित मिले जिनके साथ यूडीआई सिगनल का संयुक्त निरीक्षण करने पर यूडीआई सिगनल ब्लैंक मिला तथा किमी नम्बर 914/33 अप लाईन की बॉई तरफ पुलिया नम्बर 206 के पास स्थित जंक्सन बॉक्स के एक छोर से 12 कोर की 03 केबल प्रत्येक की लम्बाई लगभग 04 मीटर कुल 12 मीटर केबल अनुमानित कीमत 1200/- को किसी शरारती तत्व द्वारा हथियार से काटकर चोरी कर ले जाना पाया गया। उक्त घटना में मामला रेल सम्पत्ति चोरी का होना पाये जाने पर अज्ञात के विरूद्ध रेसुब कोटा पोस्ट अपराध क्रमांक 11/2026 धारा 3RP(UP) Act & 174,147 रेलवे एक्ट दिनॉक 30.05.2026 दर्ज कर जॉच में लिया गया। मामले की जांच में पतारसी व सुरागरशी के दौरान आज दिनांक 06.06.2026 को सउनि रामलाल बंशकार मय स्टाफ कामल नं 06 में वर्णित 02 व्यक्तियों को कालम नं.

Authenticated Document

05 में वर्णित स्थान के पास से संदिग्ध रूप से घूमते हुये पकड़ा आरोपियों द्वारा स्वैच्छा पूर्वक रेलवे की केबिल काट कर चोरी करने का गुनाह स्वीकार करने पर मौके पर आरोपी से कालम नं 07 में वर्णित रेल संपत्ति जप्ती पत्र के तहत जप्त कर कब्जे आरपीएफ लिया....इत्यादि पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 11/2026 दर्ज की जो अन्वेषणाधीन है।

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत: Jugal Vs State of Rajasthan S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13513/2020 की अनुपालना में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में प्रकरण संस्थित हुए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं:-

क्रम संख्या	प्रकरण संख्या	धारा	पुलिस थाना	सी.एस. नंबर	विवरण
1	616/2015	13 RPGO	उद्योग नगर	541/2015	जुर्माना

6. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का 1 प्रकरण 13 आरपीजीओ का पंजीबद्ध होना पाया गया जो कि निस्तारित होना प्रकट है। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि इस प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त के कब्जे से सिग्नल विभाग की 12 बोर की 3 केबिल लंबाई 4.4 मीटर लगभग अनुमानित कीमत 1200/- रूपये जरिये जब्ती पत्र बरामद होना पायी गयी। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त घटना में कोई भी ट्रेन बाधित नहीं हुई है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3RP(UP) Act & 174, 147 रेल्वे एक्ट का आरोप है जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। प्रार्थी अभियुक्त से कोई अभिरक्षात्मक अनुसंधान शेष नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त हस्तगत प्रकरण में दिनांक 06.06.2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में हैं। प्रकरण के अनुसंधान एवं तत्पश्चात् विचारण में समय लगने की सम्भावना है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना मैं प्रार्थी अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना उचित पाता हूँ।

7. निष्कर्षतः प्रार्थी अभियुक्त ताहिर की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी अभियुक्त की ओर से विचारण के दौरान अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में व भविष्य में किसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने की शर्त के साथ राशि 30 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं राशि 15-15 हजार रुपये की दो सुदृढ़ प्रतिभू (प्रतिभूदाता के आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र की दो-दो फोटो प्रति सहित), विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर दिया जावे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे।

Authenticated Document

8. इस जमानत आदेश में किये गये विवेचन का प्रकरण के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP(Criminal) No. 4/2021 In Re Policy Strategy for grant of Bail & SLP(Cri.) No. 529/2021 वाले मामले में दिये गये आदेश दिनांक 31.01.2023 की पालना में इस जमानत आदेश की एक प्रति अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह कोटा को भी जरिये ई-मेल प्रेषित की जावे।

(सत्यनारायण व्यास)

. आदेश आज दिनांक 11.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण व्यास)

SACHIN ARORA
Authenticated Document
Digitally signed by SACHIN ARORA
Date: 2026.06.11 12:30:44 +0530